ललित कला अकादेमी
रवीन्द्र भवन, नई दिल्ली

अकादेमी की दीर्घाओं के प्रयोग एवं आबंटन के नियम

(अकादेमी के संविधान के अनुच्छेद 11.1 तथा सामान्य परिषद् की शक्तियों के प्रयोग के संबंध में इन नियमों का अनुमोदन प्रशासक द्वारा 7 मार्च 1998 को किया गया।)

1. संक्षिप्त शीर्षक :– अकादेमी की कला दीर्घाओं के आबंटन हेतु निर्धारित नियमों को ''दीर्घा नियम'' कहा जाएगा। (यह नियम 7.3.1998 से प्रभावी होंगे।)
2. परिभाषाएँ :– दीर्घा नियमों में जब तक कि इसका सदर्भ न माँगा जाएँ :–

(i) अकादेमी या समाज अर्थात् ललित कला अकादेमी

(ii) अनुच्छेद अर्थात् अकादेमी के संविधान का अनुच्छेद

(iii) कलाकार अर्थात् किसी भी प्रकार की दृश्यकला के कार्यों में संलग्न कलाकार

(iv) संविधान अर्थात् अकादेमी के नियमों विनियमों एवं संघ का ज्ञापन जिसमें भारत सरकार की अनुमति से समय–समय पर संशोधन किया जाता है।

(v) विशिष्ट कलाकार एक ऐसा शब्द–पद है जिसके द्वारा अकादेमी के रत्न सदस्य अथवा प्रख्यात कलाकार का सन्दर्भ भी दिया जाता है।

(vi) योग्य कलाकार अर्थात् :–

(क) ऐसा कलाकार जिसने अगस्त 1954 में अकादेमी की स्थापना के बाद से किसी अन्तर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में अपनी कलाकृतियों को प्रदर्शित किया हो परन्तु उसमें कोई पुरस्कार या सम्मान योग्य उल्लेख प्राप्त न किया हो तथा न तो वह मान्यता प्राप्त, न ही विशिष्ट कलाकार हो, अथवा

(ख) एक कलाकार जिसने उस स्तर की प्रदर्शनी में अपनी कृतियों को प्रदर्शित किया हो जिसे सामान्य परिषद् के मत प्रस्ताव द्वारा अकादेमी की प्रदर्शनी के समकक्ष ही माना जाता है तथा जो न तो मान्यता प्राप्त न विशिष्ट कलाकार हो।

(vii) प्रख्यात् कलाकार अर्थात् एक कलाकार जिसकी श्रेष्ठता अकादेमी की स्थापना के बाद से आयोजित किसी अन्तर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में अकादेमी में आमंत्रित अनुभाग के

अंतर्गत उसके कार्यों के प्रदर्शन द्वारा सिद्ध की गई हो अथवा एक कलाकार जिसकी श्रेष्ठता अकादेमी द्वारा निर्णायक मंडल की उस विशिष्ट सूची में नाम सम्मिलित करने से सिद्ध होती है जिस सूची से अकादेमी द्वारा निर्णायक मंडलों का चयन किया जाता है।

(viii) मान्यता प्राप्त कलाकार अर्थात् एक कलाकार जिसने 1954 में अकादेमी की स्थापना के बाद अकादेमी की किसी अन्तर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में

(क) पुरस्कार या सम्मान योग्य उल्लेख प्राप्त किया हो।

(ख) दो या अधिक प्रदर्शनियों में अपनी कृतियों का प्रदर्शन किया हो

(ix) वर्ष अर्थात् वित्तीय वर्ष जब तक कि संदर्भ न माँगा जाएँ।

3. दीर्घाएँ सामान्य जन के प्रयोग हेतु नहीं हैं। ये अकादेमी द्वारा आयोजित प्रदर्शनियों के लिए है। अकादेमी की कला प्रसार गतिविधियों के एक भाग के रूप में अकादेमी की दीर्घाएँ कलाकारों को एक या दो सप्ताह के लिए आबंटित की जाती है। ये दीर्घाएँ किसी कलाकार या कलाकारों के समूह (अधिकतम सात कलाकारों के समूह) को उनकी प्रदर्शनियों के आयोजन हेतु दी जाती है। अकादेमी यदि यह सुनिश्चित करे कि दीर्घाओं में प्रदर्शन हेतु यह कृतियाँ किसी भी कारणवश उपयुक्त नहीं है तो अकादेमी किसी भी कलाकार या कलाकारों के समूह को आबंटन के लिए मना कर सकती है। कला–प्रसार के हित में आबंटन हेतु (लाइसेंस शुल्क तथा सहायता संबंधी निर्णय अकादेमी के अधिशासी मंडल द्वारा समय–समय पर निर्धारित किए जाएँगे। लाइसेंस शुल्क में किसी को छूट प्रदान नहीं की जाएगी चाहे आवेदक की प्रदर्शनी के कैटलॉग या ब्रोशर में ललित कला अकादेमी का नाम निर्दिष्ट है अथवा नहीं)। वर्तमान में लाइसेंस शुल्क की निम्नलिखित सब्सिडाइज दरें लागू है :–

12000/–रु. एकल प्रदर्शनी के लिए	प्रति दीर्घा/प्रति सप्ताह
20000/–रु. समूह प्रदर्शनी के लिए	प्रति दीर्घा/प्रति सप्ताह
50,000/–रु. विदेशी मिशनों/प्रायोजित प्रदर्शनियों के लिए	प्रति दीर्घा/प्रति सप्ताह
50,000/–रु. अन्य संस्थानों के लिए (व्यवसायिक/चैरिटेबल/वेब पोर्टल के लिए)	प्रति दीर्घा/प्रति सप्ताह

15 % प्रतिशत की दर से सेवा कर का भुगतान भी किया जाना है।

मिशन/व्यवसायिक संस्थानों इत्यादि द्वारा रु. 5000/–प्रति दीर्घा और समूह/एकल प्रदर्शनियों द्वारा रू. 2000/–प्रति दीर्घा वापसी योग्य सुरक्षा जमा राशि का भुगतान अग्रिम रूप में किया जाएगा।

रवीन्द्र भवन, नई दिल्ली

दीर्घा I 116 रनिंग फुट
दीर्घा II 138 रनिंग फुट
दीर्घा III 138 रनिंग फुट
दीर्घा IV 160 रनिंग फुट
दीर्घा V 144 रनिंग फुट
दीर्घा VI 144 रनिंग फुट
दीर्घा VII 144 रनिंग फुट
दीर्घा VII 144 रनिंग फुट
फोयर दीर्घा 200 रनिंग फुट (केवल भूतल क्षेत्र)

चेन्नई :–

भूतल दीर्घा

क्षेत्र : 520 रनिंग फुट/3800 वर्ग फुट

	कलाकार	संस्थान	व्यवसायिक
दीर्घा का किराया	25000	35000	50000
किराए पर सेवा कर 15%की दर से	3750	5250	7500
वतानूकूलन आग्रिम	10000	10000	10000
सुरक्षा जमा	5000	5000	7000
कुल	43750	55250	74500

समूह प्रदर्शनी के लिए दीर्घा (प्रथम तल)

क्षेत्र 290 रनिंग फुट/2110 वर्ग फुट

	कलाकार	संस्थान	व्यवसायिक
दीर्घा का किराया	15000	25000	35000
किराए पर सेवा कर	2250	3750	5250
15%की दर से			
वतानूकूलन आग्रिम	7000	7000	7000
सुरक्षा जमा	5000	5000	7000
कुल	29250	40750	54250

एकल प्रदर्शनी के लिए दीर्घा (प्रथम तल)

क्षेत्र 130 रनिंग फुट/850 वर्ग फुट

	कलाकार	संस्थान	व्यवसायिक
दीर्घा का किराया	8000	15000	25000
किराए पर सेवा कर	1200	2250	3750
15%की दर से			
वतानूकूलन प्रभार	5000	5000	5000
सुरक्षा जमा	5000	5000	7000
कुल	19200	27250	40750

पत्र व्यवहार के लिए पता

क्षेत्रीय सचिव
ललित कला अकादेमी
क्षेत्रीय केन्द्र
4,ग्रीम्स रोड
चेन्नई–600006
दूरभाष : (044) 28291692/28290804

भुवनेश्वर :–

कुल क्षेत्र : 227 वर्ग मीटर x 10.76 = 2442.50 वर्ग फुट

दीवार का क्षेत्रफल : 210 रनिंग फुट

जमीन से ऊपर तक दीवारों की ऊँचाई : 8 फुट

एकल प्रदर्शनी के लिए 3000/–रू. प्रति सप्ताह

समूह प्रदर्शनी के लिए 6000/–रु. (अधिकतम तीन कलाकार) प्रति सप्ताह

अन्य गैर लाभ प्राप्त संस्थानों हेतु समूह प्रदर्शनी के लिए 10,000/–रु. प्रति सप्ताह

व्यवसायिक संस्थानों डिप्लोटिक मिशन के लिए 20000/रु. प्रति सप्ताह

विद्युत प्रभार अतिरिक्त लिए जाएँगे जो कि विद्युत अधिकारी द्वारा ली गई मीटर रीडिंग के अनुसार होंगे।

कलाकारों, डिप्लोमेटिक मिशनों, दीर्घाओं और व्यवसायिक संस्थानों द्वारा 5000/–रु. की सुरक्षा जमा राशि अग्रिम रूप से जमा करवाई जाएगी जिसे बाद में वापिस किया जाएगा। अतिरिक्त सेवा कर लागू है।

पत्र व्यवहार के लिए पता

क्षेत्रीय सचिव
ललित कला अकादेमी
क्षेत्रीय केन्द्र
111/4, खारवेल नगर
भुवनेश्वर–751001
दूरभाष : (0674) 2391884/2391369

<u>लखनऊ</u>

दीर्घा का किराया	सुरक्षा जमा	प्रति सप्ताह (सात दिन)
व्यक्तिगत प्रयोग हेतु बड़ी दीर्घा 5000/–	500/–	प्रति सप्ताह
व्यवसायिक प्रयोग हेतु बड़ी दीर्घा 20,000/–	5000/–	प्रति सप्ताह
व्यक्तिगत प्रयोग हेतु छोटी दीर्घा 3,000/–	500/–	प्रति सप्ताह
व्यवसायिक प्रयोग हेतु छोटी दीर्घा 15,000/–	3000/–	प्रति सप्ताह

अतिरिक्त सेवा कर लागू

पत्र व्यवहार हेतु पता

क्षेत्रीय सचिव
ललित कला अकादेमी
क्षेत्रीय केन्द्र
1–एकता विहार
अलीगंज
लखनऊ–226024
दूरभाष : (0522) 2324067 / 2329183

4. प्रदर्शनी समाप्त होने के बाद एक माह के भीतर ही आवेदक द्वारा सुरक्षा जमा की वापसी के लिए आवेदन किया जाना चाहिए। जिस सुरक्षा जमा के लिए दावा प्राप्त नहीं होगा, वे एक वर्ष के बाद स्वतः समाप्त हो जाएगी तथा उन्हें दानस्वरूप माना जाएगा।

5. दीर्घाएँ सामान्यतः साप्ताहिक आधार पर सात अथवा चौदह दिनों के लिए सोमवार से रविवार के लिए आबंटित की जाएंगी।

6. बड़ी प्रदर्शनी हेतु एक ही अवधि के लिए एक से अधिक दीर्घाओं के आरक्षण पर विचार किया जा सकता हैं।

आबंटन के नियम :–

7. मौखिक आधार पर कोई आरक्षण नहीं किया जाएगा। दीर्घा आरक्षण हेतु सभी आवेदन इन नियमों के परिशिष्ट में दिए गए निर्धारित प्रपत्र में ही किए जाएंगे। आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण होना चाहिए।

8. सामान्यतः अग्रिम तौर पर 6 माह से पूर्व कोई भी आबंटन नहीं किया जाएगा यथा अक्तूबर के लिए मार्च से पहले आबंटन नहीं किया जाएगा परन्तु किसी प्रतिष्ठित प्रदर्शनी के आयोजन के मद्देनजर यह वैकल्पिक व्यवस्था सचिव अथवा क्षेत्रीय सचिव द्वारा 6 माह से पूर्व भी की जा सकती है।

9. आने वाले छः महीनों में आयोजित की जाने वाली प्रदर्शनियों के लिए प्राप्त आवेदनों पर आबंटन सचिव अथवा क्षेत्रीय सचिव द्वारा, स्थितिनुसार, माह–दर–माह किए जाएंगे। अकादेमी के उद्देश्यों के मद्देनजर कला–प्रसार के हित में सचिव या क्षेत्रीय सचिव द्वारा किसी भी आवेदन को प्राथमिकता दी जा सकती है। इन्हीं आबंटनों के आधार पर आबंटन पत्र जारी किए जाएंगे।

10. सचिव के निर्णयानुसार रिक्त दीर्घाओं की सूची समय–समय पर दीर्घा के नामपट्ट पर कलाकारों के सूचनार्थ लगाई जाएगी। रिक्त स्थानों के लिए प्रत्येक कार्य दिवस पर आबंटन तब तक जारी किए जाएँगे जब तक कि सभी स्थान भर नही जाते। अकादेमी द्वारा उन कलाकारों को वैकल्पिक तिथियाँ भी दी जा सकती है जिन्हें किसी अवधि–विशेष के लिए आबंटन प्राप्त नहीं हुआ हो। पूर्व आबंटन रद्द होने पर नए आबंटन किए जा सकते हैं। रिक्त स्थानों पर आबंटन हेतु कलाकारों द्वारा आवेदन सचिव, सहायक सचिव अथवा सहायक कार्यक्रम अधिकारी (दीर्घा) को दिए जा सकते हैं। परन्तु आबंटन को अधिकार का मुद्दा नहीं बनाया जा सकता।

11. कला प्रसार के हित में सचिव द्वारा विशिष्ट, मान्यता प्राप्त एवं योग्य कलाकारों को उसी क्रम में प्राथमिकता दी जा सकती है तथा इनमें भी उन्हें प्राथमिकता दी जाएँगी जिनकी पूर्व वर्ष या वर्षों में कोई प्रदर्शनी आयोजित नहीं हुई है। एक ही वर्ष के दौरान किसी भी कलाकार या कलाकारों के समूह को दूसरी बार दीर्घा आबंटित नहीं की जाएंगी।

12. आबंटन पत्र प्राप्त होने पर पत्र में निर्दिष्ट राशि का आबंटिती द्वारा तत्काल भुगतान किया जाना चाहिए। यदि पत्र में निर्दिष्ट तिथि तक भुगतान नहीं प्राप्त होता तो आबंटन रद्द कर दिया जाएगा और इस विषय पर किसी भी पत्र–व्यवहार पर विचार नहीं किया जाएगा। यह भुगतान नकद अथवा बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए। बैंक ड्राफ्ट सचिव, ललित कला अकादेमी के नाम से आहरित तथा दिल्ली/नई दिल्ली के किसी भी बैंक में देय होना चाहिए। क्षेत्रीय केन्द्रों की दीर्घाओं के संबंध में चेन्नई/भुवनेश्वर/लखनऊ में देय होना चाहिए।

13. आबंटन से पूर्व यदि तिथि में परिवर्तन के लिए लिखित आवेदन प्राप्त होता है तो नया आवेदन नए सिरे से पूर्व आवेदन को रद्द करते हुए किया जाएगा।

14. यदि प्रदर्शनी की तिथि से छः माह या उससे पहले कलाकार द्वारा आवेदन रद्द किया जाता है तो प्राप्त की गई राशि वापस कर दी जाएगी। यदि प्रदर्शनी की तिथि से एक माह या उससे पूर्व कलाकार से आबंटन रद्द करने का आवेदन प्राप्त होता है तो प्राप्त की गई राशि का 50 प्रतिशत भाग वापिस कर दिया जाएगा। परन्तु यदि कलाकार द्वारा आबंटन एक माह से भी कम समय में रद्द किया जाता है तो कलाकार को केवल सुरक्षा जमा ही वापिस की जाएंगी।

15. अकादेमी को प्रदर्शनी आरम्भ होने की तिथि से एक माह पूर्व नोटिस देकर कोई भी आबंटन रद्द करने का अधिकार है। ऐसी स्थिति में अकादेमी कलाकार द्वारा जमा की गई पूरी राशि वापिस कर देगी।

समय :–

16. सामान्यतः दीर्घा का समय प्रातः 11 से सायं 7 बजे तक है। दीर्घा राष्ट्रीय एवं विशेष सरकारी अवकाशों को छोड़कर सभी दिन खुली रहेगी। यदि दीर्घा किसी ऐसे अप्रत्याशित कारण से बंद रहती है जो कि अकादेमी के नियंत्रण से बाहर है तो इसके लिए लाइसेंस शुल्क अथवा इसका कोई भाग वापस नहीं किया जाएँगा।

नोट :– सचिव अथवा क्षेत्रीय सचिव (सचिव की अनुमति से) समय–समय पर स्थानीय परिस्थितिनुसार अवकाश एवं समय में फेरबदल कर सकते हैं।

17. सचिव या क्षेत्रीय सचिव जैसी भी स्थिति हो, की लिखित पूर्वानुमति के बगैर किसी भी प्रदर्शनी आयोजक को निर्दिष्ट समय से पूर्व या बाद में दीर्घा में रहने की आज्ञा नहीं हैं।

सामान्य नियम :–

18. प्रदर्शनी आयोजक दीर्घा को उस दिन की पूर्व रात में स्वामित्व में ले सकते है जिस दिन से उनका आबंटन किया गया है तथा यह स्वामित्व आबंटन के अंतिम दिन की अगली सुबह तक उनके पास रहेगा।

19. यद्यपि अकादेमी, कलाकार के आवेदन पर हेंगर/पैडस्टल/पार्टीशन प्रदर्शनी के लिए उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेगी तथापि यह कलाकार के अधिकार का विषय नहीं हैं। अकादेमी, सचिव के निर्णयानुसार इस प्रकार की सामग्री शुल्क रहित अथवा हेंगर–पैडस्टल खोने के नुकसान की आशंका से अतिरिक्त शुल्क लेकर प्रदान कर सकती है। यदि इस प्रकार की सामग्री उपलब्ध कराई जाती हैं तो प्रदर्शनी के पश्चात् प्रदर्शनी आयोजक द्वारा यह सामग्री सहायक कार्यक्रम अधिकारी (दीर्घा) को उचित अवस्था में वापिस की जानी चाहिए। किसी भी प्रकार के नुकसान की लागत प्रदर्शनी आयोजक की सुरक्षा जमा से समायोजित की जाएँगी अथवा आयोजक से ही ली जाएगी।

20. दीर्घा के बाहर प्रदर्शनी बोर्ड पर निर्दिष्ट स्थान पर साफ सज्जा के पोस्टर चिपकाएँ जाएँगे। अकादेमी के सचिव की अनुमति के बगैर बड़े आकार के बैनरों को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता।

21. अकादेमी किसी भी कलाकार को मुद्रित सामग्री प्रदर्शित करने के लिए मना कर सकती है। यदि सचिव अथवा क्षेत्रीय सचिव इसे आपत्तिजनक समझें तथा अकादेमी के हित में न मानें।

22. दीर्घा के अंदर किसी भी प्रकार की रिकार्ड आवाजों तथा ध्वनि प्रदूषण की आज्ञा नहीं दी जाएँगी जो दर्शकों के लिए बाधा प्रतीत हो।

23. प्रदर्शनी का उद्घाटन लैम्प जलाकार ही किया जाएँगा। दीर्घा के अंदर अन्य किसी भी प्रकार के आडम्बर पूर्ण रीति के आयोजन की आज्ञा नहीं है।

24. दीर्घा तथा इसके अहाते में मद्यपान, नशीली दवाओं का सेवन तथा धूम्रपान वर्जित हैं।

25. दीर्घा की दीवारों अथवा पार्टीशन पर सेलोटेप या अन्य कोई सामग्री चिपकाना अथवा कीलें लगाना वर्जित है।

26. सचिव अथवा क्षेत्रीय सचिव की अनुमति के बिना किसी भी फर्नीचर या उपकरण को उसके स्थान से हटाने की आज्ञा नहीं दी जाएँगी।

27. बिजली चली जाने की स्थिति में किसी भी बाहरी आगंतुक को विद्युत संस्थापन छेड़ने का अधिकार नहीं है। यदि यह दोष स्थानीय कारणों से है तो ड्यूटी पर उपस्थित अकादेमी का इलैक्ट्रीशियन बिजली ठीक करेगा। यदि यह चूक अकादेमी के नियंत्रण से बाहर के कारणों से हुई है तो अकादेमी इसके लिए उत्तरदायी नहीं है, न ही इस संबंध में कोई पैसा वापस करेगी।

28. दीर्घा के भीतर केवल कलाकृतियाँ ही प्रदर्शनी हेतु रखी जाएँगी तथा इसके लिए कलाकार स्वयं जिम्मेदार हैं। अकादेमी दीर्घा के भीतर अथवा बाहर भंडारण स्थल उपलब्ध नहीं कराएँगी। प्रदर्शनी के उद्घाटन से पूर्व ही पैकिंग सामग्री साफ करके हटा देनी चाहिए।

29. दीर्घा प्रभारी द्वारा जारी किए गए गेट पास को दिखाएँ बिना प्रदर्शक कोई भी वस्तु (स्वयं की कलाकृतियों सहित) गेट से बाहर नहीं ले जाएँगा। कलाकार द्वारा सभी भुगतान चुकाएँ जाने तथा दीर्घा का स्वामित्व वापस देने के बाद ही गेट पास जारी किया जाएँगा।

30. दीर्घाओं का प्रयोग कार्यशाला या भंडारण–स्थल अथवा कलाकारों के आवास स्थल के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाएँगा। दीर्घाएँ केवल कलाकृतियों के प्रदर्शन हेतु उपयोग में लाई जाएँगी।

दीवारों, पैडस्टल अथवा फर्श पर कलाकृतियों का प्रदर्शन सौंदर्य बोध की दृष्टि से किया जाना चाहिए तथा व्यवसायिक अथवा बिक्री के उद्देश्य से उन्हें नहीं प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

31. दीर्घा नियमों में अकादेमी द्वारा संशोधन किया जा सकता है।